एप्पेलेट सिविल

बाल राज तुली के सामने, न्यायमूर्ति

एम. एस. टी. बहतरी और अन्य,-अपीलार्थी

बनाम

शेर सिंह और अन्य,-उत्तरदाता

1959 की नियमित दूसरी अपील 557
19 नवंबर, 1968

प्रथा (पंजाब गुड़गांव जिला, जाट जनजाति)-रियाज-ए-आम में प्रवेश उदाहरणों द्वारा असमर्थित-महत्व-ऐसी प्रथा के पक्ष में धारणा-चाहे वह उत्पन्न हो-गुड़गांव जिले के रियाज-ए-आम में प्रवेश, रैटिगन के डाइजेस्ट ऑफ कस्टमरी लॉ के पैरा 31 में बताए गए सामान्य रिवाज के विपरीत-चाहे वह प्रचलित हो-रियाज-ए-आम में बताए गए रिवाज के विपरीत प्रथा को साबित करने की जिम्मेदारी-- किस पर है।

अभिनिर्धारित किया कि यह सार्वभौमिक दृष्टिकोण नहीं है कि रिज-ए-आम में प्रविष्टि को कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए यदि यह उदाहरणों द्वारा समर्थित नहीं है। रिवाज-ए-आम में प्रविष्टि के आधार पर उसमें बताई गई प्रथा के पक्ष में एक धारणा उत्पन्न होती है और यह प्रथा उस जिले या जनजाति तक सीमित होने के कारण एक विशेष प्रथा के रूप में काम करेगी जो सामान्य प्रथा के खिलाफ प्रबल होगी।

Para 10

यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि गुड़गांव जिले के रिवाज-ए-आम में जाट जनजाति पर लागू होने वाले प्रवेश को ध्यान में रखते हुए, इस प्रभाव से कि कोई विधवा अपने पति की संपत्ति में अपने सभी अधिकार खो देती है यदि वह अनैतिक साबित हो जाती है या करेवा द्वारा फिर से शादी कर लेती है जो कि रैटिगन के प्रथागत विधि के पाचन के पैरा 31 में वर्णित सामान्य प्रथा के विपरीत है, यह साबित करने की जिम्मेदारी कि विधवा की अनैतिकता उसके पति की संपत्ति में उसके जीवन-हित को जब्त करने का कारण नहीं बनती है, विधवा या उसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों पर निर्भर करती है।

Para 5 and 10

अपीलार्थियों की ओर से जी पी जैन, जी सी गर्ग और एस पी जैन अधिवक्ता हैं।
प्रत्यर्थियों की ओर से सुरिंदर सरूप और राम सरूप, अधिवक्ता।

निर्णय

तुली, जस्टिस

1. गुड़गांव तहसील के मौजा खांडेवाला का एक जाट भगवान 290 कनाल 9 मरला की सूट भूमि का अंतिम पुरुष धारक था। 9 अप्रैल, 1955 को अपनी विधवा श्रीमती भटेरी, जो प्रतिवादी नंबर 1 हैं, को छोड़कर उनकी निःसंतान मृत्यु हो गई। 20 जनवरी, 1956 को उसने 15 कनाल 18

मरला भूमि को बदले में अपने पति से विरासत में मिली संपत्ति से मोहलर के पक्ष में हस्तांतरित किया, जो प्रतिवादी नंबर 3 है और 23 जनवरी 1956 को उसने माता दीन के पक्ष में एक पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा 8 कनाल 2 मरला भूमि बेची, जो प्रतिवादी नंबर 2 है। वादी भगवान के संपार्श्विक हैं जो मृत हैं और उन्होंने इस आरोप पर भगवान द्वारा छोड़ी गई पूरी संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया कि उनकी विधवा श्रीमती भतरी ने मोहलर के एक अमृत पुत्र, जो प्रतिवादी संख्या 3 है, के साथ करेवा विवाह किया था या किसी भी मामले में वह अनैतिक हो गई थी क्योंकि उसने 7 मई, 1956 को एक बच्चे को जन्म दिया था, यानी भगवान की मृत्यु के लगभग तेरह महीने बाद और कि प्रथा के तहत उसने भगवान द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में अपने अधिकारों को जब्त कर लिया था और वादी उसके कब्जे के हकदार बन गए हैं। वैकल्पिक में वादी ने घोषणा के लिए अनुरोध किया कि उपरोक्त विनिमय और बिक्री द्वारा अलगाव पक्षों को नियंत्रित करने वाली कृषि प्रथा के नियम के तहत अनधिकृत थे और बिना विचार और कानूनी आवश्यकता के किए गए थे, जो मस्त भतरी की मृत्यु के बाद उनके प्रत्यावर्ती अधिकारों के खिलाफ अप्रभावी और निष्क्रिय थे। शिकायत में कहा गया था कि मस्त भतरी ने अगस्त, 1955 में करेवा रूप में अमृत से शादी की थी और उसके साथ उसके घर में रहने लगे और भगवान की मृत्यु के लगभग एक साल बाद एक बेटी को जन्म दिया।

2. प्रतिवादी ने विभिन्न आधारों पर वाद का विरोध किया, अन्य बातों के साथ-साथ, कि वादी को वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है, भतरी की कथित अनैतिकता और करेवा विवाह को अस्वीकार कर दिया गया था, न्यायालय शुल्क और अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए वाद के मूल्यांकन की शुद्धता को चुनौती दी गई थी; यह दलील दी गई थी कि भगवान की एक बेटी थी और उसकी उपस्थिति में वादी का मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था; बहिष्कार की याचिका भी उठाई गई थी और यह जोड़ा गया था कि अलगाव वैध थे और वादी पर इस तथ्य के कारण बाध्यकारी थे कि वे विचार और कानूनी आवश्यकता के लिए या अच्छे प्रबंधन के कार्य के रूप में किए गए थे। प्रतिवादियों ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि मुकदमा बहुभिन्नता के लिए बुरा था।

3. पक्षकारों की दलीलों पर, विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थेः

I. क्या मुकदमा वर्तमान रूप में बनाए रखने योग्य है?
II. क्या मुकदमा न्यायालय शुल्क और अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए उचित रूप से मूल्यवान है?
III. क्या वादी भतरी के मृत पति भगवान के संपार्श्विक उत्तराधिकारी हैं?
IV. क्या प्रतिवादी नंबर 1 ने करेवा को अमृत के साथ अनुबंधित किया था?
V. क्या वह असभ्य है? यदि ऐसा है तो इसका प्रभाव क्या है?
VI. क्या विवाद में विनिमय और बिक्री अच्छे प्रबंधन के कार्य हैं और विचार और आवश्यकता के लिए हैं?
VII. क्या भतरी संपत्ति का हस्तांतरण करने में सक्षम था?
VIII. क्या वादी को मुकदमा दायर करने से रोक दिया गया है?
IX. राहत |

मुद्दा संख्या 1,2,6 और 8 प्रतिवादियों के खिलाफ तय किए गए थे, मुद्दा संख्या 3 और 4 वादी के पक्ष में और मुद्दा संख्या 5 वादी के खिलाफ। मुद्दा संख्या 6 पर निष्कर्ष को देखते हुए मुद्दा संख्या 7 पर निर्णय नहीं लिया गया था। परिणामस्वरूप वादी भगवान द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के कब्जे के हकदार थे और उन्हें 12 नवंबर, 1957 को प्रतिवादियों के खिलाफ लागत के साथ मुकदमे में भूमि के कब्जे के लिए एक डिक्री दी गई थी। प्रतिवादियों ने जिला न्यायाधीश गुड़गांव की अदालत में एक अपील दायर की जिसे 5 जनवरी, 1959 को खारिज कर दिया गया। विद्वत निचली अपीलीय अदालत द्वारा पारित डिक्री से व्यथित प्रतिवादियों ने इस अदालत में वर्तमान अपील दायर की है।

4. विद्वत निचली अपीलीय अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि भतरी ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया था जिसकी कल्पना उसके पति भगवान से नहीं हुई थी और यह अभिनिर्धारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि उसके लिए बच्चे का जन्म या तो उसकी अनैतिकता या पुनर्विवाह का परिणाम था और इस तरह वह अपने पति की संपत्ति को आसानी से खो देगी। उन्होंने आगे पाया कि अगस्त, 1955 में जब भतरी और अमृत के बीच करेवा विवाह हुआ था, तब अमृत की एक पत्नी जीवित थी और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 के अनुसार, जो 18 मई, 1955 से लागू हुई थी, अमृत और भतरी के बीच कोई दूसरी शादी नहीं हो सकती थी। मामले के इस दृष्टिकोण में यह माना गया था कि उसने करेवा रूप में अमृत से पुनर्विवाह नहीं किया था और यह कि बच्चा उसकी ओर से अनैतिकता का परिणाम था। गुड़गांव जिले के प्रथागत कानून के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनैतिकता के परिणामस्वरूप विधवा की संपत्ति जब्त कर ली गई जो भतरी को उसके पति भगवान से विरासत में मिली थी।

5. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने इस निष्कर्ष के आधार पर जोरदार तर्क दिया है कि भतरी अनैतिक हो गई थी और करेवा रूप में पुनर्विवाह नहीं किया था, कि रट्टीगन के डाइजेस्ट के पैरा 31 के अनुसार अनैतिकता उसके मृत पति की संपत्ति में उसके जीवन हित को जब्त नहीं करती है और यह उन लोगों पर है जो एक प्रथा को मंजूरी देने वाले ज़ब्त के अस्तित्व का दावा करते हैं। गुड़गांव जिले के रिवाज-ए-आम में जाट जनजाति के लिए लागू प्रविष्टि के अनुसार यह उल्लेख किया गया है कि यदि कोई विधवा अनैतिक साबित होती है या करेवा द्वारा फिर से शादी करती है तो वह अपने पति की संपत्ति के सभी अधिकार खो देती है। यह वह प्रथा है जो अहीर जनजाति में प्रचलित है और जाट जनजाति में प्रचलित प्रथा वही है जो अहीर जनजाति में है, लेकिन कोई उदाहरण नहीं दिया गया है। यह मामला एडिसन जस्टिस के सामने भजन बनाम भीओली (I.L.R. (1931) 12 Lah. 752) में आया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "गुड़गांव जिले के रिवाज-ए-आम के अनुसार, तहसील रेवाड़ी, जिला गुड़गांव के अहीरों के बीच एक विधवा की अनैतिकता या पुनर्विवाह, उसकी जीवन संपत्ति को जब्त करने का कारण बनता है, इस कथन की शुद्धता का खंडन करने की जिम्मेदारी विधवा पर थी और वह ऐसा करने में विफल रही थी।" यह विद्वान न्यायाधीश द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

> "पंजाब के लिए सामान्य नियम रट्टीगन्स डाइजेस्ट ऑफ कस्टमरी लॉ, 11वें संस्करण के पैराग्राफ 31 में दिया गया है। यह प्रभाव है कि एक विधवा की अनैतिकता कभी-कभी उसके जीवन हित को जब्त कर लेती है, लेकिन जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो इस तरह की प्रथा के अस्तित्व का दावा करते हैं। दूसरी ओर, रिवाज-ए-आम स्पष्ट है कि गुड़गांव जिले में अनैतिकता जीवन संपदा को जब्त करने का कारण बनती है।

एक समय यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक रिवाज-ए-आम जो उदाहरणों द्वारा समर्थित नहीं था या जो सामान्य प्रथा का विरोध करता था, उसे अविश्वसनीय माना जाना चाहिए, लेकिन चूंकि प्रिवी काउंसिल के फैसले, बेग बनाम अल्लाह डिट्टा (45 P.R. 1917 (P.C.).) को अब अच्छा कानून नहीं माना जा सकता है। उनके प्रभुओं की राय थी कि रिवाज-ए-आम में एक प्रविष्टि एक कथित प्रथा के समर्थन में एक मजबूत सबूत था, जिसे यह मानते हुए भी खंडन करने के लिए दूसरे पक्ष पर निर्भर करता है कि प्रविष्टि में निर्धारित नियम पंजाब में सामान्य प्रथा के खिलाफ था। लाह सिंह बनाम मैग्नो (आई. एल. आर. 8 लाहौर 281) में प्रिवी काउंसिल के फैसले पर विचार किया गया था, जहां यह कहा गया था कि न्यायिक समिति के कानून के स्पष्ट स्पष्टीकरण को देखते हुए अब यह स्थापित नियम नहीं माना जा सकता है कि सामान्य प्रथा के विरोध में और उदाहरणों द्वारा असमर्थित रियाज-ए-एम में एक बयान का कोई न्यायिक मूल्य नहीं था। इस तरह की प्रविष्टि प्रथम दृष्टया प्रथा का प्रमाण थी और उस प्रविष्टि की शुद्धता पर विवाद करने वाले पक्ष पर खंडन की जिम्मेदारी डालती थी। यही दृष्टिकोण काहन सिंह बनाम गोपाल सिंह(I.L.R. 8 Lahore 527.) और लाहराम बनाम रमन(I.L.R. 9 Lahore 1.) में भी लिया गया था। यह इस प्रकार है कि इस मामले में वादी को रिवाज-ए-आम में प्रविष्टि का खंडन करना था जो उसके खिलाफ है।

मुसम्मत भुरियन बनाम पूरन में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दिल्ली जिले के अहीरों के बीच कोई विशेष प्रथा साबित नहीं हुई थी, जिसके तहत अनैतिकता एक विधवा की जीवन संपदा को ज़ब्त कर देती थी। मैंने उस फैसले को सावधानीपूर्वक देखा है और इसमें वाजिब-उल-अर्ज या रिवाजी-ए-आम में किसी भी प्रविष्टि के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए, यह मामला वर्तमान मामले में उस निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता है।

यह तय किया जाना बाकी है कि क्या विधवा ने 1879 के रिवाज-ए-आम में प्रविष्टि से उत्पन्न अनुमान का खंडन किया है। यह सच है कि तीन मामलों में अधीनस्थ न्यायालयों ने इस प्रविष्टि के खिलाफ निर्णय लिया है, लेकिन उन्होंने इस आधार पर ऐसा किया कि रिवाज-ए-आम में नियम उदाहरणों द्वारा समर्थित नहीं था। ऊपर उद्‌धृत निर्णय को ध्यान में रखते हुए, मुझे यह मानना चाहिए कि ये निर्णय कानूनी रूप से खराब थे और इसलिए इन्हें रिवाज़-ए-आम में प्रविष्टि का खंडन करने वाले उदाहरणों के रूप में नहीं लिया जा सकता है। ऐसा होने पर उस प्रविष्टि को प्रभाव दिया जाना चाहिए।"

6. उस मामले में विद्वत न्यायाधीश के समक्ष न्यायिक निर्णय के तीन उदाहरण दिए गए थे जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया था। अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि इस न्यायालय के हाल के निर्णयों को देखते हुए एडिसन जस्टिस के फैसले का अधिक महत्व नहीं हो सकता है। उन्होंने हरदयाल और अन्य बनाम दाखन (A.I.R. 1953 Pb. 209.) में इस न्यायालय के एक खंड पीठ के फैसले का उल्लेख किया है जिसमें एडिसन जस्टिस के फैसले पर विचार किया गया था। उस मामले में यह प्रस्तुत किया गया था कि सिरसा के रिवाज-ए-आम के प्रश्न संख्या

15 के अनुसार कुख्यात अनैतिकता के परिणामस्वरूप एक विधवा द्वारा संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। रिज-ए-आम में प्रश्न संख्या 15 का उत्तर इस प्रकार थाः

"यदि कोई पुत्रहीन विधवा अपने पति की संपत्ति में सफल हो जाती है, और अपवित्र साबित हो जाती है, या अपने माता-पिता के साथ या कहीं और स्थायी रूप से रहने के लिए अपने पति का घर छोड़ देती है, या 'निकाह' या 'करेवा' द्वारा अपने पति के निकटवर्ती को छोड़कर किसी से शादी करती है, तो वह अपने पति की संपत्ति पर सभी अधिकार खो देती है।"

7. विद्वान न्यायाधीशों ने रैटिगन डाइजेस्ट ऑफ कस्टमरी लॉ के पैरा 31 और गोकुल चंद बनाम परवीन कुमारी (A.I.R. 1952 S.C. 231) में उच्चतम न्यायालय के उनके लॉर्डशिप्स के फैसले का उल्लेख किया और कहा कि "जहां तक सिरसा के रिवाज-ए-आम का संबंध है, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि जब रिवाज-ए-आम संकलित किया गया था तो किसी भी महिला को बुलाया गया था। न ही इस बात का कोई प्रमाण है कि इस प्रथा के लंबे समय तक उपयोग की मंजूरी है और न ही इस प्रथा के समर्थन में कोई उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के समर्थन में उदाहरणों की अनुपस्थिति में, विद्वान न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया कि यह साबित करने की जिम्मेदारी वादी पर थी कि ज़ब्ती के कारण हुई अनैतिकता जिसे वह साबित करने में विफल रहा था। रिज-ए-आम में प्रश्न संख्या 15 के आधार पर वादी के पक्ष में कोई अनुमान नहीं लगाया गया था। तर्क की समान समानता पर, अपीलार्थियों के लिए विद्वत वकील प्रस्तुत करता है कि किसी भी पक्ष के गवाहों द्वारा मुकदमे के मुकदमे में कोई भी उदाहरण उद्धृत नहीं किया गया है, रैटिगन के डाइजेस्ट ऑफ कस्टमरी लॉ के पैरा 31 में बताई गई सामान्य प्रथा को रिवाज-ए-एम में प्रविष्टि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए|

राम देवी बनाम शिव देवी (108 P.R. 1913.) में रॉबर्टसन जस्टिस ने यह मत व्यक्त किया थाः –

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुनर्विवाह करने वाली विधवा द्वारा विधवा की संपत्ति को ज़ब्त करने की प्रकृति और अनैतिक साबित होने वाली विधवा द्वारा संपत्ति को ज़ब्त करने की प्रकृति के बीच अंतर किया जाना चाहिए। पूरे प्रांत में पुनर्विवाह द्वारा ज़ब्त किए जाने के मामले में महिला अपने मृत पति की विधवा होना पूरी तरह से बंद कर देती है, उसकी संपत्ति में सभी अधिकार और हर तरह का हित खो देती है और दूसरे परिवार की सदस्य बन जाती है। अनैतिकता द्वारा ज़ब्त करने का मामला जहां स्थापित किया गया है, वह अलग है। महिला अपने मृत पति की विधवा होना बंद नहीं करती है और न ही वह किसी अन्य परिवार की सदस्य बन जाती है। प्रथा के अनुसार वह इस प्रांत में मान्यता प्राप्त भरण-पोषण का एक विशेष रूप, अर्थात् अपने पति की संपत्ति के जीवन के लिए अधिकार को जब्त कर लेती है और यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर अक्सर नकारात्मक की तुलना में शायद सकारात्मक में दिया जाता है, क्या वह तब भी अपने पति के रिश्तेदारों से भरण-पोषण का हकदार नहीं है।"

8. श्रीमती दयाल कौर बनाम बलवंत सिंह और अन्य (I.L.R. 1959 Pb. 1122) में न्यायमूर्ति आई. डी. दुआ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक विधवा की ओर से अनैतिकता उसके मृत पति की संपत्ति में उसके अधिकारों को जब्त करने का हकदार नहीं है और प्रथा के मामले में जनमत की प्रवृत्ति भी न्यायालयों के निर्णयों के साथ आगे बढ़ रही है, जिसकी प्रमुखता अनैतिकता के कारण उसके मृत पति की संपत्ति में विधवा के अधिकारों को जब्त करने या उसके मृत पति के भाई के साथ करेवा के खिलाफ है। यह मामला अंबाला जिले की खरार तहसील के सैनी से संबंधित है।

9. सुखो बनाम बलवंत सिंह और इस न्यायालय की एक खंड पीठ (टेक चंद और गोसाई, न्यायमूर्ति) द्वारा तय किए गए एक अन्य मामले में, पक्षकार कांगड़ा जिले के थे और प्रथा यह थी कि अगर अनैतिकता साबित हो जाती है, यानी विधवा द्वारा अपने पति का घर छोड़ना या उसके अवैध बच्चे होने से, जिसमें उसके पति की संपत्ति का नुकसान शामिल है, तो सवाल यह उठा कि क्या एक विधवा जो अनैतिक हो गई थी, अपने ससुर की संपत्ति का उत्तराधिकारी बन सकती है। विद्वान न्यायाधीशों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उन्हें इस आधार पर ऐसा अधिकार था कि –

> "प्रथा में ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है कि एक विधवा अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी अनैतिकता के कारण अपने पति की विधवा नहीं रहेगी। जाहिर है इसलिए विधवा को अपने पति की विधवा के रूप में अपना दर्जा प्राप्त है और भविष्य में उत्तराधिकार के मामलों में उसका प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा।"

इन प्राधिकारियों के आधार पर, अपीलार्थियों के लिए विद्वत वकील प्रस्तुत करता है कि रिज-ए-आम में मात्र प्रविष्टि यह साबित करने की जिम्मेदारी नहीं डालती है कि किसी विधवा की अनैतिकता के परिणामस्वरूप उसके मृत पति की संपत्ति में उसके जीवन हित को जब्त नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी वादी पर यह साबित करने की जिम्मेदारी है कि अनैतिकता से वह अपने जीवन हित को खो देती है जैसा कि रैटिगन के कस्टमरी लॉ के डाइजेस्ट के पैरा 31 में कहा गया है। श्रीमती केसरो बनाम श्रीमती पार्वती में इस न्यायालय की एक खंडपीठ (चोपड़ा और गोसाई, न्यायमूर्ति) ने अभिनिर्धारित किया कि:

"शुद्धता का अनुमान रियाज-ए-आम से जुड़ा हुआ है जब तक कि यह एक विश्वसनीय दस्तावेज साबित नहीं होता है।"

बिना किसी उदाहरण के रियाज-ए-आम में प्रवेश को ध्यान में रखते हुए, यह माना गया कि कांगड़ा जिले के गद्दी में एक प्रथा थी जिसके आधार पर एक विधवा अनैतिक होने पर अपने पति की संपत्ति में आजीवन ब्याज जब्त कर लेती थी।

10. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह सार्वभौमिक दृष्टिकोण नहीं है कि रिज-ए-आम में प्रविष्टि को कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए यदि यह उदाहरणों द्वारा समर्थित नहीं है। रिवाज-ए-आम में प्रविष्टि के आधार पर उसमें बताई गई प्रथा के पक्ष में एक धारणा उत्पन्न होती है और यह प्रथा उस जिले या जनजाति तक सीमित होने के कारण एक विशेष प्रथा के रूप में कार्य करेगी जो सामान्य प्रथा के खिलाफ प्रबल होगी जैसा कि रैटिगन डाइजेस्ट या प्रथागत कानून के पैरा

31 में कहा गया है। रिवाज़-ए-आम में प्रविष्टि और ऊपर निर्दिष्ट एडिसन न्यायमूर्ति के निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह साबित करने की जिम्मेदारी है कि श्रीमती भतरी की अनैतिकता के कारण भगवान की संपत्ति में उनके जीवन हित को जब्त नहीं किया गया था, जो प्रतिवादियों पर निर्भर था और उन्होंने इस बिंदु पर कोई सबूत नहीं दिया था कि वादी को उस अनुमान का लाभ होना चाहिए जो रिवाज़-ए-आम में प्रविष्टि से उनके पक्ष में उत्पन्न होता है। किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी तरह का कोई उदाहरण नहीं दिया गया था और इसलिए, रिज-ए-आम में प्रविष्टि से उत्पन्न अनुमान पर यह उचित निर्णय लिया गया है कि अनैतिकता के कारण श्रीमती भतरी ने भगवान की संपत्ति में अपने अधिकारों को खो दिया। इसलिए, वादी के मुकदमे का निर्णय उचित रूप से किया गया है।

11. श्रीमती भतरी ने अगस्त 1955 में भगवान की संपत्ति में अपनी जीवन रुचि खो दी जब वह अनैतिक हो गईं और अमृत के साथ रहने लगीं, जैसा कि नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा पाया गया है। इसलिए, उसे प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के पक्ष में बिक्री और विनिमय को प्रभावित करने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए उन लेन-देनों को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

12. ऊपर दिए गए कारणों से, यह अपील विफल हो जाती है और लागत के साथ खारिज कर दी जाती है|

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सूर्य करण चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

कह्खोदा (सोनीपत) हरियाण|